राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान
National Institute for Locomotor Disabilities (Divyangjan)
(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ,भारत सरकार)
(Department of Empowerment of PwDs (Divyangjan), Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India)
बी.टी .रोड बनहुगली, कोलकाता-700090 / B.T. Road, Bon-Hooghly, Kolkata-700090
Phone: 2531-0279, 2531-0610/Tele Fax: 2531-8379/E-mail: mail@nioh.in/web: www.niohkol.nic.in

17 दिसम्बर 2025

प्रवेश सूचना

पाठ्यक्रम का नाम - अभिभावकों हेतु देखभाल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (CCCGP)

अभिभावकों हेतु देखभाल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम **(CCCGP)** का उद्देश्य आत्मकेंद्रित, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता तथा बहु-दिव्यांगता से ग्रस्त बच्चों के अभिभावकों को उच्च गुणवत्ता युक्त , व्यक्ति-केंद्रित देखभाल प्रदान करने हेतु आवश्यक समग्र ज्ञान, व्यावहारिक कौशल और संवेदनशील समझ से सशक्त बनाना है।

अवधि: 06 माह (सत्र प्रारंभ: 1 जनवरी, 2026 से)

योग्यता मानदंड: ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक एवं बहु-दिव्यांगजन के वे अभिभावक, जिन्होंने कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो।

प्रवेश प्रक्रिया: 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची के अनुसार चयन।

धारिता संख्या-40

शिक्षण माध्यम: हिंदी, अंग्रेज़ी एवं क्षेत्रीय भाषा (बांग्ला) ।

पाठ्यक्रम संरचना: इस पाठ्यक्रम में 2 सैद्धांतिक और 3 प्रायोगिक विषय शामिल हैं। सैद्धांतिक भाग 40% और प्रायोगिक भाग 60% होगा, तथा कुल अध्ययन अवधि छह माह की होगी।

क. मूल अनिवार्य मॉड्यूल: इसमें दिव्यांगता के स्वरूप, बाल-विकास एवं चिकित्सीय आधारभूत ज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पोषण, तथा ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक एवं बहु-दिव्यांगजन की प्राथमिक देखभाल से संबंधित महत्वपूर्ण विषय शामिल होंगे।

ख. **समय का वितरण:** सैद्धांतिक और प्रायोगिक प्रशिक्षण का अनुपात 40:60 रहेगा।

आवश्यक: न्यूनतम उपस्थिति - 70%

CRR पंजीकरण और प्रमाणपत्र- NIEPID, हैदराबाद में दिनांक 06.03.2024 को आयोजित बैठक के निर्णयानुसार, अभिभावकों हेतु देखभाल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (CCCGP) को परिषद द्वारा विकसित कर दिनांक 25.06.2024 को राष्ट्रीय न्यास को प्रस्तुत किया गया। इस पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय न्यास संस्थागत अनुमोदन प्रक्रिया और परीक्षा संचालन करेगा। जो संस्थान CCCGP पाठ्यक्रम प्रदान करना चाहते हैं, उन्हें आवश्यक अनुमतियों के लिए राष्ट्रीय न्यास से समन्वय करना होगा। संस्थानों और इच्छुक प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम में नामांकन से पूर्व इस जानकारी को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ना चाहिए।

सीआरआर पंजीकरण के लिए योग्यता: जो प्रतिभागी CCCGP पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे, वे भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) द्वारा संचालित केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर (CRR) में पंजीकरण के लिए योग्य होंगे। राष्ट्रीय न्यास से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की सूची प्राप्त होने और भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) की ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् CRR नंबर जारी किए जाएंगे।

भरे हुए आवेदन पत्र (हस्तगत/डाक/ईमेल द्वारा) जमा करने की अंतिम तिथि – 29/12/25 है ।